फर्द अहकाम

राजेन्द्र बनाम राज० सरकार

वाद

नाम न्यायालय

केस संख्या 76/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/8/19	पा०फ० उप०। पत्रावली का अवलोकन किया किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखा गया। आज्ञा शा० डिक्री गई। डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–76/2017

उनवान

राजेन्द्र नागर पुत्र स्व0 श्री नृसिंहराम, उम्र 44 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मक्खनलाल पुत्र स्व0 श्री नृसिंह
3. गोविन्द पुत्र स्व0 श्री नृसिंह
4. शान्ती देवी पुत्री स्व0 श्री नृसिंह
5. रामेश्वर देवी पुत्री स्व0 श्री नृसिंह
6. विमला देवी पुत्री स्व0 श्री नृसिंह
7. दाफा देवी पत्नि स्व0 श्री नृसिंह
8. मूलचन्द पुत्र ईशर
9. धन्नालाल पुत्र ईशर
10. मालीराम पुत्र ईशर
11. भगवती देवी पुत्री ईशर

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–19.08.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर खातेदारी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी की खातेदारी भूमि ग्राम अणतपुरा, चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 228 है, जिसके खसरा नम्बर 748/1878 रकबा 0.09 है0,

Devyani

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 751/1625 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 761 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 764/1879 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1341 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1343 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1387/1880 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 14 का कुल रकबा 5.77 है0 भूमि में हिस्सा 1/21 भाग निहित है, शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निहित है। वादी का नाम उक्त विवादित आराजियात में सहवन से बल्लूराम पुत्र नृसिंह दर्ज हो गया। जबकि सभी दस्तावेजों में राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम नाम दर्ज है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम ही दर्ज है तथा वादी को आमजन में राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता हैं। अतः उक्त बल्लूराम पुत्र नृसिंह नाम अशुद्ध हैं, जिसके स्थान पर राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित है।

वादी का असली व नाम पहचान का नाम राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम हैं तथा समाज व परिवार में भी इसी नाम से जाना जाता हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश बल्लूराम पुत्र नुसिंह दर्ज हो गया, जिसमें वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है तथा सरकारी विभागो में नाम की भिन्नता होने से पहचान भी स्पष्ट नही हो पा रही हैं तथा अपनी राजस्व भूमि के उक्त खाते के रिकॉर्ड में बल्लूराम पुत्र नृसिंह होने से ऋण लेने में भी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र पेश दिनांक 02.11.2017 को किया लेकिन प्रतिवादी ने उक्त नाम दुरूस्ती बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। इसलिए उक्त वाद पेश करना लाजमी आया है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि उक्त आराजीयात में वादी का नाम बल्लूराम पुत्र नृसिंह के स्थान पर राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम की घोषणा की जावें एवं तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावें

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 ने जवाब वाद पत्र पेश किया जिसके मुताबिक बल्लूराम पुत्र नृसिंह व राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम एक ही व्यक्ति है वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति जताई गई है। वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में समस्त सर्विस कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत उदयपुरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र व नाम परिवर्तन की अखबार में साया की एक प्रति

Durga

Scanned by CamScanner

इत्यादि वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार चौमूं की ओर से मोका परचा दिनांक 14.03.18 रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक बल्लूराम व राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम एक ही व्यक्ति है।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम बल्लूराम पुत्र नृसिंह के स्थान पर राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार, तहसील चौमूं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बल्लूराम पुत्र नृसिंह व राजेन्द्र नागर पुत्र नृसिंहराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में बल्लूराम पुत्र नृसिंह के स्थान पर राजेन्द्र नागर उर्फ बल्लूराम पुत्र नृसिंहराम नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम अणतपुरा, चिमनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 748 / 1878 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 751 / 1625 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 761 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 764 / 1879 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1341 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1343 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1387 / 1880 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 14 का कुल रकबा 5.77 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बल्लूराम पुत्र नृसिंह के स्थान पर बल्लूराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र नृसिंहराम की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–76/2017

उनवान

राजेन्द्र नागर पुत्र स्व0 श्री नृसिंहराम, उम्र 44 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मक्खनलाल पुत्र स्व0 श्री नृसिंह
3. गोविन्द पुत्र स्व0 श्री नृसिंह
4. शान्ती देवी पुत्री स्व0 श्री नृसिंह
5. रामेश्वर देवी पुत्री स्व0 श्री नृसिंह
6. विमला देवी पुत्री स्व0 श्री नृसिंह
7. दाफा देवी पत्नि स्व0 श्री नृसिंह
8. मूलचन्द पुत्र ईशर
9. धन्नालाल पुत्र ईशर
10. मालीराम पुत्र ईशर
11. भगवती देवी पुत्री ईशर

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व प्रतिवादी मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम अणतपुरा, चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 748/1878 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर

Devyani

Scanned by CamScanner

751/1625 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 761 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 764/1879 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1341 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1343 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1387/1880 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 14 का कुल रकबा 5.77 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बल्लूराम पुत्र नृसिंह के स्थान पर बल्लूराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र नृसिंहराम की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.08.2019 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

मोहर

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. म.हन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	 1
जोड़	3	जोड़	1

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.26 14:57:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: